झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–432 वर्ष 2017

दिनेश कुमार सिंह .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. भारत संघ
2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो के माध्यम से
3. कार्यकारी निदेशक (ई0डी0), बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो
4. महाप्रबंधक, बोकारो स्टील पी0एफ0आर0एस0, पावर फेसिलियेटर मरम्मत शॉप, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री रत्नाकर भेंगरा

याचिकाकर्त्ता के लिए :–श्री नागेन्द्र तिवारी

उत्तरदाताओं के लिए:– मेसर्स इंद्रजीत सिंन्हा, कौस्ताव पांडा (सेल के लिए)

सुश्री रिंकी झा (एस0सी0 खान के जे0सी0)

06 / 13.03.2018 याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), सर्किट बेंच, रांची, ने ओ0ए0 संख्या 051/00041/2016 (अनुलग्नक–2) में पारित दिनांक 11.11.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की मांग करने वाले मूल आवेदन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रिट याचिकाकर्ता मूल आवेदक राघव सिंह का पुत्र है, जो एक तकनीकी वेल्डर के रूप में कार्यरत सेल का कर्मचारी था। उन्होनें खतरनाक रोगों (अनुलग्नक–7) से पीड़ित कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रतिस्थापन योजना के आलोक में अपने आश्रित बेटे का अपने चिकित्सा विकलांगता के मद्देनजर अपने स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दिनांक 03.07.2009 को एक आवेदन दिया था। डॉ0 एस0 नारायण (अनुलग्नक–5 श्रृंखला) के कक्ष में दिनांक 06.06.2009 को शाम 4:30 बजे दिनांक 20.05.2009 के पत्र के अनुसार, मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच की गई।

3. मेडिकल बोर्ड कीराय अनुलग्नक–6 के रूप में संलग्न है, जिसकी अंतिम पंक्ति आश्चर्यजनक रूप से काले रंग में रंगा गया है। हालांकि, विद्वान कैट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुलग्नक–ए के रूप में जोड़े गए मेडिकल बोर्ड की राय को विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा परिशीलन किया गया था और यह पाया गया है कि राय यह दी गई थी कि यह नौकरी प्रतिस्थापन के लिए एक फिट मामला नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान ट्रिब्यूनल के उपरोक्त अवलोकन पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा लिखित ब्यान की प्रति के साथ नोट शीट (अनुलग्नक–ए) का प्रासंगिक हिस्सा दायर नहीं किया गया था

क्योंकि आवेदक के अधिवक्ता पर कॉपी तालीमा कराया गया कॉपी में ऐसा कोई अनुलग्नक नहीं था। उन्होनें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओरसे दायर लिखित ब्यान की प्रति, को आवेदक के वकील को दिए गए उत्तरदाता संख्या 1 से 4 की ओर से दायर, जिसे आवेदक के अधिवक्ता को दिनांक 26.07.2016 को तामीला कराया गया, को प्रस्तुत किया है।

5. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को एक दस्तावेज यानी लिखित ब्यान जो रिकॉर्ड में नहीं है, का संदर्भ देने के लिए छूट दिया है। इसके पहले पृष्ठ पर किए गए पृष्ठांकन के अवलोकन पर, यह आभास होताहै कि लिखित ब्यान पृष्ठ 1 से 10 थे और अनुलग्नक पृष्ठ 11 से 13 तक थे। यह दिनांक 26.7.2017 को प्राप्त हुआ था।

6. अनुलग्नक–ए के बारे में यह विवाद हालांकि हमें केवल इस कारण से नहीं रोक सकता है कि भले ही अनुलग्नक–6 में वर्तमान रिट याचिका के साथ संलग्न मेडिकल बोर्ड की राय को ध्यान में रखा जाय, अंत में यह अंतिम 1 और 1/2 लाइनों की छायांकन दिखाता है। आगे उसकी चिकित्सा स्थिति की स्थिति दर्ज करने के बाद, याचिकाकर्ता को फिजियोथेरेपी में भाग लेने के लिए सलाह दी गई है। यहां तक कि अनुलग्नक–6 पर रखा इस दस्तावेज द्वारा भी मेडिकल बोर्ड ने यह नहीं कहा था कि उनका मामला नौकरी के प्रतिस्थापन के लिए फिट था। वास्तव में उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी गई।

7. सेल के सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी/आवेदक के आवेदन को स्वीकार नहीं किया, परिणामस्वरूप, वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 31.07.2010 तक उस पद पर बने रहे जिस पर वे आसीन थे और बाद में, अनुलग्नक–8 जो चिकित्सा अधिकारी, डॉ0 सुरेंद्र

कुमार, ए0डी0एम0ओ0, बी0जी0एच0, बोकारो जनरल अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र है, के अनुसार दिनांक 17.11.2016 को उनका निधन हो गया। योजना के तहत, अनुलग्नक–7, नौकारी के प्रतिस्थापन के लिए, एक आवेदक प्रत्यक्ष आश्रित, वयस्क पुरूष बच्चे या युवा पुरूष दंपत्ति या उनकी अनुपस्थिति में युवा महिला आश्रित की नियुक्ति की मांग कर सकता है, यदि आवेदक भयानक बीमारियों से पीड़ित पाया जाता है–(1) कैंसर (2) एड्स (3) पूरी तरह (दोनों गुर्दे) गुर्दे खराब होना जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, और (4) पूरी तरह पक्षाघात जिसके परिणामस्वरूप शरीर पूरी तरह अपंग हो गया और पुनरूद्वार की कोई संभावना नहीं है।

8. हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि कर्मचारी पक्षाघात से पीड़ित था, जिसने उसे किसी भी गतिविधि से पूरी तरह से अपंग कर दिया था, लेकिन हम केवल उस संबंध में विशेषज्ञ यानी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान ट्रिब्यूनल ने चिकित्सा विकलांगता के आधार पर रोजगार के लिए आवेदक के आश्रित के प्रतिस्थापन के संबंध में उत्तरदाता सेल के निर्णय में कुछ भी तर्कहीन या अवैध नहीं पाया।

9. ऊपर वर्णित तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने पर, हम ओ0ए0 संख्या 051/00041/2016 दिनांक 11.11.2016 में विद्वान कैट, सर्किट बेंच, रांची द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(रत्नाकर भेंगरा, न्याया0)